न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–02/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) गोरखपुर।

सत्रवाद सं0–1559/2022

स्टेट बनाम राजन तिवारी

धारा–302,323,504,452,307,394,120बी0 भा0दं0सं0

थाना–गगहा, जिला गोरखपुर।

दिनांक–09.06.2026

1. अभियुक्त राजन तिवारी की तरफ से प्रार्थना पत्र कागज सं0–37ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी मुकदमा ने 24.03.2022 को मु०अ०सं० 324/2021 धारा 323,504,452, 307,394,120 बी आई०पी०सी० थाना गगहा जिला गोरखपुर में शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी न किये जाने के सन्दर्भ में शिकायती प्रार्थना पत्र आई०जी०आर०एस० संदर्भ सं० 50018822000717 सक्षम पुलिस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया था, जिसमें वादी मुकदमा राजीव नयन सिंह ने कहा कि "पाँचवा अभियुक्त, जो अज्ञात के रूप मे एफ०आई०आर० में नामजद है, उसका नाम गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कन्फेशनल बयान के अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० मे खुलासा हो चुका है, किन्तु आज तक विवेचक महोदय द्वारा अज्ञात अभियुक्त के नाम का खुलासा नहीं किया गया और न ही उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किया जा रहा है।" वादी मुकदमा द्वारा पुलिस के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया है कि अभियोग में मृतक अभियुक्त विजय प्रजापति की बहन नीतू प्रजापति द्वारा वादी मुकदमा को जरिये रजिस्ट्री सं० EU54105710IN एक पत्र प्रेषित कर अन्य व्यक्तियों के घटना में शामिल होने की बात बताया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को दौरान विवेचना ही पाँचवा अज्ञात अभियुक्त के बारे में जानकारी थी, किन्तु वादी मुकदमा सम्बन्धित पुलिस को गुमराह कर रहे थे। वादी मुकदमा का यह बयान कि उनकी पत्नी सत्यावती ने दैनिक अखबार में फोटो देखकर पाँचवें अज्ञात अभियुक्त को पहचान लिया। यह पूरी तरह संदेहास्पद है। जबकि गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 20.11.2021 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति मे वादी मुकदमा द्वारा प्रेषित आई०जी०आर०एस० संदर्भ सं० 5001882000717 प्रार्थना पत्र जॉच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट रजिस्ट्री सं० EU54105710IN प्रेषक नीतू प्रजापति (मूल पत्र) नीतू प्रजापति के कथित पत्र के बावत जॉच रिपोर्ट रजिस्ट्री रसीद के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज व जॉच रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष व सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न होना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ बाढू ए०आई०आर० 2005 एस०सी० 359 में धारा 91 द०प्र०सं० के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश अनूकूल प्रतीत होते है। अतः न्यायालय से यह अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.07.2024 दिया था, किन्तु माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए कि सफाई साक्ष्य (उपरान्त 313 द०प्र०सं०) में अभियुक्त को अवसर दिया जायेगा गुण दोष के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उपरोक्त प्रपत्र प्रार्थी की बेगुनाही का ठोस आधार है। उपरोक्त वादी

मुकदमा ने मुझसे पूर्व कई अन्य लोगों को अभियुक्त बनाने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति मे न्यायहित मे उपरोक्त प्रपत्र मय जॉच रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त आई०जी०आर०एस० संदर्भ सं० 5001882000717 मय शिकायती प्रार्थना पत्र व सम्पूर्ण जॉच रिपोर्ट व रजिस्ट्री सं० EU54105710IN मूल पत्र व सम्बन्धित रसीद व जॉच रिपोर्ट को सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के कार्यालय से तलब किया जाए।

2. अभियोजन की तरफ से आपत्ति कागज सं0– 38ख/1 प्रस्तुत कर साक्षी सं0–07 के बयान व जिरह में कहीं भी अभियुक्त राजन तिवारी द्वारा चाहे गए प्रपत्रों का कोई जिक्र नहीं है एवं दौरान विवेचना साक्षी सं0–07 को इस तरह की किसी भी प्रपत्र की सूचना नहीं थी एवं साक्षी सं0–07 द्वारा कोई भी जिक्र को इस केस डायरी में नहीं किया है एवं पूर्व में भी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2024 को निरस्त किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध अभियुक्त राजन द्वारा दिनांक 29.07.2024 के विरूद्ध मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचका अंतर्गत धारा 482सी0आर0पी0सी0 याचिका सं0–28479/2024 योजित की गयी थी। उसे माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। आवेदन के साथ संलग्न है। प्रस्तुत वाद में मा0उच्च न्यायालय द्वारा इसे यथा शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया गया।

3. सुना सत्रवाद सं0–222/2022 में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया किसी अज्ञात अभियुक्त की खोजबीन जारी थी और थाना शाहपुर अन्य आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त राजन तिवारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त की फोटो समाचारपत्रों में छपी। उक्त आधार पर वादी मुकदमा राजीवनयन सिंह की पत्नी सत्यावती देवी द्वारा अभियुक्त राजन तिवारी को इस घटना में सम्मलित होने की पहचान की, जिसके आधार पर पुलिस एवं विवेचक द्वारा अभियुक्त राजन तिवारी को इस मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया और इस संदर्भ में साक्षी राजीवनयन सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को एक शपथपत्र 14.03.2022 को भी दिया कि दिनांक 20.08.2021 की घटना कारित करने में अज्ञात अभियुक्त का नाम पता चल गया है, जिसका अभियुक्त राजन तिवारी पुत्र स्व0 राम आशीष तिवारी है एवं विवेचक द्वारा केस डायरी में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर अभियुक्त की फोटो भी संलग्न की गयी है एवं विवेचक संदीप कुमार सिंह वादी मुकदमा राजीवनयन पी0डब्लृ0–01 द्वारा अभियुक्त राजन तिवारी के कहने पर अभियुक्त विजय द्वारा फायरिंग करने का साक्ष्य दिया है, जिसके संदर्भ में अभियुक्त राजन तिवारी की तरफ से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है एवं राजन तिवारी के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित करने वाले निरीक्षक संदीप कुमार सिंह ने पर्चा नं0–67 दिनांक 02.08.2022 को वादी राजीव नयन और उनकी पत्नी सत्यावती का मजीद बयान किता किया था और अभियुक्त राजन तिवारी को रिमाण्ड लिया था। इस साक्षी से भी अभियुक्त राजन तिवारी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी एवं पी0डब्लृ0–09 सत्यवती देवी पत्नी राजीव नयन ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में राजन तिवारी के कहने पर विजय द्वारा उसकी बेटी का मोबाइल छीनने तथा फायरिंग करने का अभियोग किया है। वादी ने बयान दिया है। इस साक्षी से भी अभियुक्त राजन तिवारी ने द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है

इसलिए अभियुक्त राजन तिवारी की संलिप्तता वादी राजीवनयन से एवं वादी की पत्नी सत्यवती देवी के द्वारा समाचापत्रों से अभियुक्त राजन तिवारी की फोटो पहचान करने पर विवेचक को दिए मजीद बयान के आधार पर की गयी है न कि अन्य आधार पर। अतः अभियुक्त राजन तिवारी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र कि वादी ने इस संबंध में शिकायती प्रार्थनापत्र दिया था, जिसकी जाँच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी थी एवं अभियुक्त विजय की पहचान द्वारा एक रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया गया था। आदि तथ्य इस मुकदमे से असंगत हैं। इस सत्र विचारण वाद में शिकायती प्रार्थना पत्र पर की गयी जाँच अथवा अभियुक्त की पहचान द्वारा प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र, जो न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा नहीं है को न्यायालय द्वारा ग्राह्य नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार होने योग्य नहीं है।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
गैंगस्टर एक्ट, कोर्ट सं०–02 गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.06.09 16:18:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court